Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 106/2013

Shambhu Bahardar .... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Respondents

Web Copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया द्वारा BLDR वाद सं0–28/2021–22 में दिनांक–01.09.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदक दाखिल है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिंदु पर सुना। निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों का अवलोकन तथा समीक्षा किया। अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत भूमि इनके पिता–शिवानंद बहरदार को बंदोबस्ती वाद सं0–01/1988–89 से दिनांक–28.12.1988 को प्राप्त है तथा जमाबंदी सं0–1835 इनके पक्ष में दर्ज है। निम्न न्यायालय ने यह पाया हे कि प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती परवाना अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत किया गया है। जबकि अंचल अधिकारी किसी व्यक्ति के पक्ष में भूमि बंदोबस्त करने हेतु सक्षम पदाधिकारी नहीं हैं। बंदोबस्ती परवाना अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से निर्गत नहीं है। अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत परवाना के आधार पर जमाबंदी कायम नहीं की जा सकती है। निम्न न्यायालय ने उक्त परवाना के आधार पर इसे संदिग्ध जमाबंदी का मामला पाया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी इन कथनों का समर्थन किया गया है। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार से परे ''पोषणीय नहीं'' (Not maintainable) पाते हुए अधिग्रहण के बिंदु पर अस्वीकृत किया जाता है। अपीलार्थी यदि चाहें तो अपने अनुतोष हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष जाने के लिए स्वतंत्र है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.